Insolvency and Bankruptcy Board of India
7th Floor, Mayur Bhawan, Connaught Place, New Delhi-110001

CIRCULAR No. IPE/008/2018 5th April, 2018

To
All recognised Insolvency Professional Entities
(By mail to registered email addresses and on website of the IBBI)

Dear Sir/Madam,

Subject: Compliance with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018.

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has recently notified the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018 in the Gazette of India dated 28th March, 2018. They are available at www.ibbi.gov.in and are annexed to this circular. They came into force on 1st April, 2018.

2. They have amended provisions in sub-regulation (1) of regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 relating to insolvency professional entities (IPEs). In terms of the amended regulations, the IPEs recognised as on 1st April, 2018 need to comply with the provisions of clauses (e), (f) and (g) of sub-regulation (1) on or before 30th June, 2018 and the provisions of clauses (a), (b) (c) and (d) of sub-regulation (1) on or before 30th September, 2018.

3. In terms of the sub-regulation (2) of regulation 13 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, the recognition granted to an IPE is subject to the condition that the IPE shall at all times continue to satisfy the requirements under regulation 12.

4. In view of the above, you are requested to ensure compliance with the provisions of sub-regulation (1) of regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 by 30th June, 2018 or 30th September, 2018, as the case may be, under intimation to the IBBI, failing which the IPE may be derecognised in accordance with regulation 14.

Yours faithfully,

-Sd-

(Debajyoti Ray Chaudhuri)
Chief General Manager

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940
No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियमन, 2018

आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमनों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियमन, 2018 है ।

   (2) ये 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल विनियमन कहा गया है) में, विनियमन 3 के उप-विनियमन (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियमन रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "(3) सीमित दिवाला परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारूप, अर्हक अंक और उसकी बारंबारता, परीक्षा से कम से कम तीन माह पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।"

3. मूल विनियमनों के विनियमन 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "5. **अर्हताएं और अनुभव** – (1) इन विनियमनों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए तभी पात्र होगा, यदि उसने –

   (क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास नामांकन के लिए अपने आवेदन की तारीख से पूर्व बारह माह के भीतर सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;

   (ख) उसने किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में व्यवसायिक सदस्य के रूप में नामांकन के पश्चात से ऐसा पंजीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, जैसी कि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए; और

(ग) उसने –

(i) बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;

(ii) बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित स्नातक दिवाला कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;

(iii) विधि द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् प्रबंधन का पन्द्रह वर्ष का अनुभव है; अथवा

(iv) के रूप में दस वर्ष का अनुभव है-

(क) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट,

(ख) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत कंपनी सचिव,

(ग) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत लागत लेखाकार, या

(घ) बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता ।"

4. मूल विनियमनों के विनियमन 7 के उप-विनियमन (2) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(खक) ऐसी निरंतर व्यावसायिक शिक्षा पूरी करेगा, जैसी कि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए;

(खख) संहिता के अधीन अपने किसी कर्तव्य और उत्तरदायित्व का पालन, सिवाय उनके जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात हैं, बाहरी स्रोत से नहीं कराएगा ।"

5. मूल विनियमनों के विनियमन 12 में, उप-विनियमन (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियमन रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) किसी कंपनी, किसी रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी को किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में तभी मान्यता दी जा सकेगी, यदि –

(क) उसका एकमात्र उद्देश्य ऐसे दिवाला व्यावसायिकों को, जो कि उसके, यथास्थिति, भागीदार या निदेशक हैं, सहायता सेवाएं प्रदान करना है;

(ख) उसका शुद्ध मूल्य एक करोड़ रुपए से कम नहीं है;

(ग) उसके अधिकांश शेयर ऐसे दिवाला व्यावसायिकों द्वारा धारित हैं, जो यदि वह एक कंपनी है तो उसके निदेशक हैं;

(घ) अधिकांश पूंजी अंशदान ऐसे दिवाला व्यावसायिकों द्वारा किया जाता है, जो कि यदि वह एक सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या कोई रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म है तो उसके भागीदार हैं;

(ङ) उसके अधिकांश, यथास्थिति, भागीदार या निदेशक दिवाला व्यावसायिक हैं;

(च) उसके अधिकांश पूर्णकालिक निदेशक, यदि वह एक कंपनी है, दिवाला व्यावसायिक हैं; और

(छ) उसका कोई भी भागीदार या निदेशक किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक संस्था का भागीदार या निदेशक नहीं है :

परन्तु भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियमन, 2018 के प्रारंभ की तारीख को मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं, खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों का 30 सितम्बर, 2018 को या इससे पूर्व और खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों का 30 जून, 2018 को या इससे पूर्व अनुपालन करेंगी ।"

6. मूल विनियमनों की पहली अनुसूची में,-

(i) "[विनियमन 7(2)(छ) के अधीन]" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"[विनियमन 7(2)(ज) के अधीन]";

(ii) मद (8) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"8क. कोई दिवाला व्यावसायिक, लेनदारों की समिति और उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है, इस बारे में प्रकटीकरण करेगा कि क्या वह किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था का कर्मचारी था या उनके द्वारा पैनलित किया गया है और एजेंसी ऐसे प्रकटन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी ।";

(iii) मद (25) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"25क. दिवाला व्यावसायिक उसे संदेय फीस, दिवाला व्यावसायिक संस्था को संदेय फीस और उसके द्वारा नियोजित व्यावसायिकों को संदेय फीस का प्रकटीकरण उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को करेगा, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है और वह एजेंसी ऐसे प्रकटन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी ।"

7. मूल विनियमनों की दूसरी अनुसूची में, प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा,-

"प्ररूप क

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

सेवा में,

महाप्रबंधक (आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और अक्षमता बोर्ड

विषय: दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

महोदय/महोदया

मैं..............(कृपया दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम लिखिए) में व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित होने के कारण, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं ।

मेरा ब्यौरा निम्नलिखित है:

क. वैयक्तिक ब्यौरा

1. उपाधि (श्री/श्रीमती/सुश्री):
2. नाम:
3. पिता का नाम:
4. जन्म की तारीख:
5. जन्म-स्थान:
6. पैन संख्या:
7. आधार संख्या (यदि उपलब्ध है):
8. पासपोर्ट संख्या (यदि उपलब्ध है):
9. पत्र-व्यवहार के लिए पता:
10. स्थायी पता:
11. ई-मेल पता:
12. मोबाइल संख्या :

ख. शैक्षिक, व्यावसायिक और दिवाला परीक्षा अर्हताएं

1. शैक्षिक अर्हता

[कृपया स्नातक डिग्री से आगे शैक्षिक अर्हताओं का ब्यौरा दें]

शैक्षिक अर्हता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंक(%)	श्रेणी/वर्ग	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	टिप्पणी, यदि कोई है

2. व्यावसायिक अर्हता

व्यावसायिक अर्हता	संस्थान/व्यावसायिक निकाय	सदस्यता सं. (यदि लागू हो)	नामांकन की तारीख	टिप्पणी, यदि कोई है

3. दिवाला अर्हता

3.1 क्या आपने सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण की है? (हां/नहीं)

3.2 क्या आपने राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? (हां/नहीं)

3.3 क्या आपने स्नातक दिवाला परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? (हां/नहीं)

3.4 क्या आपने किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी से रजिस्ट्रीकरण-पूर्व प्रशिक्षण पूरा किया है? (हां/नहीं)

ग. कार्य अनुभव

1. क्या आप वर्तमान में प्रैक्टिस/नियोजन में है? (हां/नहीं)

2. कितने वर्षों से प्रैक्टिस में हैं (वर्ष और मास में):

3. यदि प्रैक्टिस में हैं तो व्यावसायिक पत्र-व्यवहार के लिए पता:

4. कितने वर्षों से नियोजन में हैं (वर्ष और मास में):

5. अनुभव का ब्यौरा (अधिवक्ता/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार के रूप में नामांकन/बैचलर डिग्री की तारीख से)

क्रम सं.	तारीख से	तारीख तक	नियोजन/ प्रैक्टिस	यदि नियोजित हैं तो नियोजक का नाम और पदनाम	यदि व्यवसाय में हैं तो अधिवक्ता/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार के रूप में व्यवसाय	कार्य का क्षेत्र

घ. दिवाला व्यावसायिक एजेंसी

1. कृपया उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का ब्यौरा दें जिसमें आप व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित हैं:

2. कृपया अपना व्यावसायिक सदस्यता संख्यांक बताएं:

ङ अतिरिक्त जानकारी

1. क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है? (हां/नहीं)

यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें।

2. क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाहियां लंबित हैं? (हां/नहीं)

यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें।

3. क्या आपको कभी दिवाला/शोधन-अक्षम घोषित किया गया है या आपने इस प्रकार घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया है? (हां/नहीं)

यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें।

4. कृपया कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी दें जो आपके आवेदन के लिए सुसंगत हो।

च. संलग्नक

1. आवासीय सबूत की प्रति।

2. शैक्षिक अर्हताओं, व्यावसायिक अर्हताओं और दिवाला परीक्षा अर्हताओं के समर्थन में दस्तावेज़ों की प्रतियां।

3. निम्नलिखित रूप में व्यवसाय प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज़ों की प्रतियां –

i. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में पंजीकृत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट;

ii. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में पंजीकृत एक कंपनी सचिव;

iii. भारतीय लागत लेखाकार संस्थान में पंजीकृत एक लागत लेखाकार; या

iv किसी राज्य बार काउंसिल में नामांकित एक अधिवक्ता;

4. नियोजक(नियोजकों) से नियोजन प्रमाणपत्र की प्रतियां, जिसमें ऐसे नियोजन की अवधि विनिर्दिष्ट हो ।

5. पिछले तीन वर्षों की वित्तीय विवरणी/आय-कर विवरणी ।

6. किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में व्यावसायिक सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति ।

7. पासपोर्ट आकार का फोटो ।

8. पांच हजार रुपए/दस हजार रुपए, जो भी लागू हो, जमा/संदाय करने का साक्ष्य ।

छ. पुष्टीकरण

1. इस आवेदन पत्र के अनुभाग च में सूचीबद्ध दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न/अपलोड कर दी गई हैं । संलग्न/अपलोड किए गए दस्तावेज़ ये हैं............

मैं, जब भी अपेक्षा की जाए, कोई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का वचन देता हूं ।

2. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित नहीं हूं ।

3. मैं यह प्रमाणित और घोषणा करता हूं कि मैं अननुमोचित दिवाला/शोधन-अक्षम नहीं हूं और मैने किसी भी अधिकार-क्षेत्र की विधि के अधीन इस प्रकार न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है ।

4. यह आवेदन और इस आवेदन के साथ मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सही और पूर्ण है । यदि वह किसी भी प्रक्रम पर मिथ्या या भ्रामक पाई जाती है तो मेरा रजिस्ट्रीकरण संक्षिप्ततः रद्द कर दिया जाएगा ।

5. मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, उसके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमनों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की, जिसमें मैं नामांकित हूं, उपविधियों और ऐसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के बोर्ड तथा शासी बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों और दिए गए निदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने का वचन देता हूं ।

6. लागू शुल्क का संदाय कर दिया गया है ।

आवेदक का नाम और उसके हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा सत्यापन

हमने निम्न प्रकार सत्यापित किया है:

सत्यापन	निष्कर्ष
क्या व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (लागत) या उस बार काउंसिल द्वारा, जिसका वह सदस्य है, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में किसी भी समय कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है या कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है ।	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा दें । यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागजपत्र संलग्न करें ।
क्या किसी विनियामक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (लागत), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान या बार काउंसिल ने व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही आरंभ की है और वह निपटारे के लिए लंबित है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा दें । यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागजपत्र संलग्न करें ।

क्या व्यावसायिक सदस्य द्वारा पिछले नियोजक के पास की गई सेवा, यदि वह नियोजन में था, बेदाग थी?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा दें। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागजपत्र संलग्न करें।
क्या व्यावसायिक सदस्य का नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय के डाटाबेस में निम्नलिखित के संबंध में प्रकट होता है – i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अधीन निरर्हित निदेशक, या ii. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन उद्घोषित अपराधी।	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा दें। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागजपत्र संलग्न करें।
क्या व्यावसायिक सदस्य को किसी बाजार विनियामक (सेबी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) द्वारा पिछले तीन वर्षों में दंडित किया गया है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा दें। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागजपत्र संलग्न करें।
क्या व्यावसायिक सदस्य का नाम भारतीय रिजर्व बैंक/उधार की जानकारी देने वाली कंपनी के व्यतिक्रमियों की सूची में है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा दें। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागजपत्र संलग्न करें।

हमने .... द्वारा, जो कि व्यावसायिक सदस्यता सं. .... वाला हमारा व्यावसायिक सदस्य है, प्रस्तुत किए गए उपरोक्त ब्यौरों को सत्यापित किया है और यह पुष्टि करते हैं कि ये सत्य और सही हैं। हम दिवाला व्यावसायिक के रूप में .... के रजिस्ट्रीकरण की सिफारिश करते हैं।

(नाम और हस्ताक्षर)

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का प्राधिकृत प्रतिनिधि

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की मोहर

स्थान:

तारीख:

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन—III/4/असा./496/17]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 29 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अब तक संशोधन नहीं किया गया है।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018

IBBI/2017-18/GN/REG027.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on 1st April, 2018.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as principal regulations), in regulation 3, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(3) The syllabus, format, qualifying marks and frequency of the Limited Insolvency Examination shall be published on the website of the Board at least three months before the examination.".

3. In the principal regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely: -

"**5. Qualifications and experience.-** Subject to the other provisions of these regulations, an individual shall be eligible for registration, if he -

(a) has passed the Limited Insolvency Examination within twelve months before the date of his application for enrolment with the insolvency professional agency;

(b) has completed a pre-registration educational course, as may be required by the Board, from an insolvency professional agency after his enrolment as a professional member; and

(c) has-

(i) successfully completed the National Insolvency Programme, as may be approved by the Board;

(ii) successfully completed the Graduate Insolvency Programme, as may approved by the Board;

(iii) fifteen years' of experience in management, after receiving a Bachelor's degree from a university established or recognised by law; or

(iv) ten years' of experience as –

(a) chartered accountant registered as a member of the Institute of Chartered Accountants of India,

(b) company secretary registered as a member of the Institute of Company Secretaries of India,

(c) cost accountant registered as a member of the Institute of Cost Accountants of India, or

(d) advocate enrolled with the Bar Council.".

4. In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (2), after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(ba) undergo continuing professional education, as may be required by the Board;
(bb) not outsource any of his duties and responsibilities under the Code, except those specifically permitted by the Board.".

5. In the principal regulations, in regulation 12, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) A company, a registered partnership firm or a limited liability partnership may be recognised as an insolvency professional entity, if –

(a) its sole objective is to provide support services to insolvency professionals, who are its partners or directors, as the case may be;

(b) it has a net worth of not less than one crore rupees;

(c) majority of its shares is held by insolvency professionals, who are its directors, in case it is a company;

(d) majority of capital contribution is made by insolvency professionals, who are its partners, in case it is a limited liability partnership firm or a registered partnership firm;

(e) majority of its partners or directors, as the case may be, are insolvency professionals;

(f) majority of its whole time directors are insolvency professionals, in case it is a company; and

(g) none of its partners or directors is a partner or a director of another insolvency professional entity:

Provided that the insolvency professional entities recognised as on the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018 shall comply with the provisions of clauses (a), (b) (c) and (d) on or before 30th September, 2018 and the provisions of clauses (e), (f) and (g) on or before 30th June, 2018.".

6. In the principal regulations, in the First Schedule, -

(i) for "[Under regulation 7(2)(g)]" the following shall be substituted, namely: -

"[Under regulation 7 (2) (h)]";

(ii) after item (8), the following item shall be inserted, namely: -

"8A. An insolvency professional shall disclose as to whether he was an employee of or has been in the panel of any financial creditor of the corporate debtor, to the committee of creditors and to the insolvency professional agency of which he is a professional member and the agency shall publish such disclosure on its website.";

(iii) after item (25), the following item shall be inserted, namely: -

"25A. An insolvency professional shall disclose the fee payable to him, the fee payable to the insolvency professional entity, and the fee payable to professionals engaged by him to the insolvency professional agency of which he is a professional member and the agency shall publish such disclosure on its website.".

7. In the principal regulations, in the Second Schedule, for FORM A, the following Form shall be substituted, namely: --

"FORM A

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016]

To

The General Manager (IP Division)

Insolvency and Bankruptcy Board of India

Subject: Application for registration as an insolvency professional

Sir / Madam,

I, having been enrolled as a professional member with the ____(please write the name of the insolvency professional agency), hereby apply for registration as an insolvency professional under section 207 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

My details are as under:

A. PERSONAL DETAILS

1. Title (Mr./Mrs/Ms.):
2. Name:
3. Father's Name:
4. Date of Birth:
5. Place of Birth:
6. PAN No.:
7. AADHAAR No. (if available):
8. Passport No. (if available):
9. Address for Correspondence:
10. Permanent Address:
11. E-Mail Address:
12. Mobile No.:

B. EDUCATIONAL, PROFESSIONAL AND INSOLVENCY EXAMINATION QUALIFICATIONS

1. Educational Qualifications

[Please provide educational qualifications from Bachelor's degree onwards]

Educational Qualification	Year of Passing	Marks (%)	Grade/ Class	University/College	Remarks, if any

2. Professional Qualifications

Professional Qualification	Institute/ Professional Body	Membership No. (if applicable)	Date of registration/enrolment	Remarks, if any

3. Insolvency Qualifications

3.1. Have you passed Limited Insolvency Examination? (Yes / No)

3.2. Have you successfully completed National Insolvency Programme? (Yes / No)

3.3. Have you successfully completed the Graduate Insolvency Programme? (Yes / No)

3.4. Have you completed the pre-registration training with an insolvency professional agency? (Yes / No)

C. WORK EXPERIENCE

1. Are you presently in practice / employment? (Yes/ No)
2. Number of years in practice (in years and months):
3. If in practice, address for professional correspondence:
4. Number of years in employment (in years and months):
5. Experience Details (from the date of enrolment as Advocate / Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant/ Bachelors' Degree)

Sl. No.	From Date	To Date	Employment / Practice	If employed, Name of Employer and Designation	If in practice, practice as Advocate / Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant	Area of work

D. INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCY

1. Please give details of the insolvency professional agency with which you are enrolled as a professional member:
2. Please state your professional membership number:

E. ADDITIONAL INFORMATION

1. Have you ever been convicted for an offence? (Yes/ No)

   If yes, please give details.
2. Are any criminal proceedings pending against you? (Yes/ No)

   If yes, please give details.
3. Have you ever been declared as an insolvent/bankrupt, or applied to be declared so? (Yes/ No)

If yes, please give details.

4. Please provide any additional information that may be relevant for your application.

F. ATTACHMENTS

1. Copy of proof of residence.
2. Copies of documents in support of educational qualification, professional qualification and insolvency examination qualification.
3. Copies of documents demonstrating practice as -
   i. a chartered accountant registered with the Institute of Chartered Accountants of India;
   ii. a company secretary registered with the Institute of Company Secretaries of India;
   iii. a cost accountant registered with the Institute of Cost Accountants of India; or
   iv. an advocate enrolled with the Bar Council;
4. Copies of certificate of employment from the employer(s), specifying the period of such employment.
5. Financial statement / Income-tax Returns for the last three years.
6. Copy of certificate of professional membership with an insolvency professional agency.
7. Passport-size photo.
8. Evidence of deposit / payment of five thousand rupees / ten thousand rupees, as applicable.

G. AFFIRMATIONS

1. Copies of documents, as listed in section F of this application form have been attached/ uploaded. The documents attached/ uploaded are ......

   I undertake to furnish any additional information as and when called for.
2. I am not disqualified from being registered as an insolvency professional under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.
3. I hereby certify and declare that I am not an undischarged insolvent/bankrupt and have not made any application to be adjudged so under the laws of any jurisdiction.
4. This application and the information furnished by me along with this application is true and complete. If found false or misleading at any stage, my registration shall be summarily cancelled.
5. I hereby undertake to comply with the requirements of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, the rules, regulations, guidelines and circulars issued thereunder, the bye-laws of the insolvency professional agency with which I am enrolled, and the resolutions passed and directions given by the Board and the Governing Board of such insolvency professional agency.
6. The applicable fee has been paid.

Name and Signature of applicant

Place:

Date:

VERIFICATION BY THE INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCY

We have verified as under:

Verification	**Finding**
Whether any disciplinary proceedings are pending or any disciplinary action has been taken at any time in the preceding three years against the professional member by the ICAI, ICSI, ICAI(Cost), or Bar Council, of which he is a Member.	Yes / No. If Yes, give details. If required, attach additional papers
Whether a regulator ICAI, ICAI (Cost), ICSI, or Bar Council has initiated any criminal proceeding against the professional member and is pending for disposal?	Yes / No. If Yes, give details. If required, attach additional papers

Whether the professional member had an unblemished service with the last employer if he was in employment?	Yes / No. If No, give details. If required, attach additional papers
Whether the name of the professional member appears in the databases of Ministry of Corporate Affairs regarding- i. Directors disqualified under section 164 of the Companies Act, 2013, or ii. Proclaimed Offenders under section 82 of the Code of Criminal Procedure, 1973.	Yes / No. If Yes, give details. If required, attach additional papers
Whether the professional member has been penalised by a market regulator (SEBI and CCI) in the last three years?	Yes / No. If Yes, give details. If required, attach additional papers
Whether the name of professional member appears in the list of defaulters of RBI / Credit Information Company?	Yes / No. If Yes, give details. If required, attach additional papers

We have verified the above details submitted by … who is our professional member with professional membership no. … and confirm these to be true and correct. We recommend registration of … as an insolvency professional.

Place:

Date:

(Name and Signature)

Authorised Officer of the Insolvency Professional Agency

(Seal of the Insolvency Professional Agency)".

DR. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.—III/4/Exty./496/17]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India Extraordinary *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 on 23rd November, 2016 and these have not been amended so far.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.04.04 09:28:03 +05'30'

4. This circular is issued in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 196 read with clause (e) of sub-section (2) of section 208 of the Code.

5. The letter No. IBBI/IP/PUBLIC.ANN/218 dated 1st February, 2017 issued by the Board shall cease to have effect from the date of issue of this circular.

Yours faithfully,

-Sd-

(Dilip Arjun Khandale)
Deputy General Manager
Email: dilip.khandale@ibbi.gov.in